# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्याः– 338/2025

1. श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा, निवासी वार्ड नं0 52, गणेश मन्दिर के पास, मोतीसिंह की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं ( राज0 )
2. श्री नाहरसिंह ढाका पुत्र श्री धर्मपाल ढाका, निवासी रसौला, जिला झुंझुनूं ( राज0 )

––अपीलान्ट्स

बनाम

तहसीलदार झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं ( राज0 )

––रेस्पोडेन्ट

––

अपील विरूद्व पुनर्विलोकित नामन्तरकरण संख्या 6237 दिनांकित 26.11.2025, ग्राम झुंझुनूं जिला झुंझुनूं

––

उपस्थितः–

1. श्री प्रदीप कुमार शर्मा, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

## आदेश

**दिनांक 01.12.2025**

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार, झुंझुनूं के नामान्तरकरण आदेश संख्या 6237 दिनांक 26.11.2008 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की ओर से विवादित पुनर्विलोकित नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांक 26.11.2025 के विरूद्व अपील निम्न प्रकर से पेश है कि आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांक 26.11.2025 विरूद्व पत्रावली व कानून है। पूर्व मे दिनांक 03.11.2025 को विक्रय पत्र के आधार पर भूमि खसरा नं0 5003/952 ग्राम झुंझुनूं हल्का झुंझुनूं, तहसील झुंझुनूं रकबा 1.8634 है0 का नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांक 03.11.2025 को नियमानुसार बाद जांच हल्का पटवारी व विक्रय पत्र कब्जा काश्त के आधार पर 1/8–1/8 हिस्से का अपीलान्ट्स के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ है। अब जब अपीलान्ट्स ने उक्त नामान्तरकरण तस्दीक के पश्चात् उक्त खसरा नं0 5003/952 की जमाबन्दी अपीलान्ट के कॉलम मे दर्ज भी किया। उक्त बाबत जब अपीलान्ट्स ने तहसीलदार, झुंझुनूं से सम्पर्क किया तो तहसीलदार, झुंझुनूं ने अपीलान्ट्स को बताया कि हमने दिनांक 26.11.2025 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 6237 को खारीज कर दिया है तथा उसका इन्द्राज चालू जमाबन्दी मे पुनर्विलोकित नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांक 26.11.2025 के रूप मे दर्ज है। इस प्रकार तहसीलदार, झुंझुनूं ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उक्त मूल नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांकित 03.11.2025 को बाद मे दिनांक 26.11.2025 को खारीज करने की कानूनी भूल की है। उक्त पुनर्विलोकित नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांकित 26.11.2025 को निरस्त कर मूल नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांक 03.11.2025 को पुनः बहाल कर उक्त नामान्तरकरण के अनुसार अपीलान्ट्स का 1/8–1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे खातेदार के रूप मे दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। कानून की सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी नामान्तरकरण दर्ज करने के पश्चात् अपील न्यायालय के समक्ष आदेश के बिना निरस्त या पुनर्विलोकित नही किया जा सकता। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर मल नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांकित 03.11.2025 को बहाल कर विवादित पुनर्विलोकित नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांक 26.11.2025 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि पूर्व मे दिनांक 03.11.2025 को विक्रय पत्र के आधार पर भूमि खसरा नं0 5003/952 ग्राम झुंझुनूं हल्का झुंझुनूं, तहसील झुंझुनूं रकबा 1.8634 है0 का नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांक 03.11.2025 को नियमानुसार बाद जांच हल्का पटवारी व विक्रय पत्र कब्जा काश्त के आधार पर 1/8–1/8 हिस्से का अपीलान्ट्स के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ है। अब जब अपीलान्ट्स ने उक्त नामान्तरकरण तस्दीक के पश्चात् उक्त खसरा नं0 5003/952 की जमाबन्दी अपीलान्ट के कॉलम मे दर्ज भी किया। उक्त बाबत जब अपीलान्ट्स ने तहसीलदार, झुंझुनूं से सम्पर्क किया तो तहसीलदार,

जिला कलक्टर झुंझुनूं

झुंझुनूं ने अपीलान्ट्स को बताया कि हमने दिनांक 26.11.2025 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 6237 को खारीज कर दिया है तथा उसका इन्द्राज चालू जमाबन्दी मे पुनर्विलोकित नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांक 26.11.2025 के रूप मे दर्ज है। इस प्रकार तहसीलदार, झुंझुनूं ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उक्त मूल नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांकित 03.11.2025 को बाद मे दिनांक 26.11.2025 को खारीज करने की कानूनी भूल की है। उक्त पुनर्विलोकित नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांकित 26.11.2025 को निरस्त कर मूल नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांक 03.11.2025 को पुनः बहाल कर उक्त नामान्तरकरण के अनुसार अपीलान्ट्स का 1/8–1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे खातेदार के रूप मे दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। कानून की सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी नामान्तरकरण दर्ज करने के पश्चात् अपील न्यायालय के समक्ष आदेश के बिना निरस्त या पुनर्विलोकित नही किया जा सकता। अदालत मातहत ने अपने रिव्यू को शिकायत के आधार पर पारित करना बताया है। रिव्यू आदेश मे विवादित भूमि पर बोर्ड लगा होना बताया है जबकि रिकार्ड मे बोर्ड के कोई फोटोग्राफ नही है। जिस इकरारनामे के आधार पर तहसीलदार, झुंझुनूं ने रिव्यू आदेश पारित किया है उस इकरारनामे पर इकरारनामा सम्पादित करने वाले 4 व्यक्तियों के नाम है जबकि हस्ताक्षर 3 व्यक्तियों के है। इकरारनामे पर गवाह के हस्ताक्षर भी नही है। इकरारनामे मे उपयोग मे लिया गया स्टाम्प वर्ष 2005 का है जो फर्जी है। शिकायती प्रार्थना पत्र जिसके आधार पर रिव्यू आदेश पारित किया गया है वह शिकायती पत्र भी रिकार्ड मे उपलब्ध नही है। अदालत मातहत ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व न तो हमे कोई नोटिस दिया गया और न ही सुना गया। अदालत मातहत ने अपूर्ण एवं फर्जी दस्तावजों के आधार पर अपना आदेश पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर मल नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांकित 03.11.2025 को बहाल कर विवादित पुनर्विलोकित नामान्तरकरण संख्या 6237 दिनांक 26.11.2025 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने धार्मिक उन्माद फैलने की शिकायत पर आदेश दिनांकित 03.11.2025 विधिक प्रकिया पारित किया है। अदालत मातहत के आदेश मे कोई अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में वकील अपीलान्ट्स के अहम तर्क यह रहे कि अदालत मातहत ने अपने रिव्यू को शिकायत के आधार पर पारित करना बताया है। रिव्यू आदेश मे विवादित भूमि पर बोर्ड लगा होना बताया है जबकि रिकार्ड मे बोर्ड के कोई फोटोग्राफ नही है। जिस इकरारनामे के आधार पर तहसीलदार, झुंझुनूं ने रिव्यू आदेश पारित किया है उस इकरारनामे पर इकरारनामा सम्पादित करने वाले 4 व्यक्तियों के नाम है जबकि हस्ताक्षर 3 व्यक्तियों के है। इकरारनामे पर गवाह के हस्ताक्षर भी नही है। इकरारनामे मे उपयोग मे लिया गया स्टाम्प वर्ष 2005 का है जो फर्जी है। शिकायती प्रार्थना पत्र जिसके आधार पर रिव्यू आदेश पारित किया गया है वह शिकायती पत्र भी रिकार्ड मे उपलब्ध नही है। अदालत मातहत ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व न तो हमे कोई नोटिस दिया गया और न ही सुना गया। अदालत मातहत ने अपूर्ण एवं फर्जी दस्तावजों के आधार पर अपना आदेश पारित किया गया है। प्रथमदृष्टया वकील अपीलान्ट्स के कथन उचित प्रतीत होते है। अदालत मातहत को सभी प्रभावित पक्षकारों को नोटिस दिया जाकर, पक्षकारों को सुना जाकर, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर एवं दस्तावेजों एवं कब्जा काश्त की जांच कर अपना आदेश पारित करना चाहिए था। वस्तुगत प्रकरण मे अदालत मातहत द्वारा ऐसा नही किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 03.11.2025 निरस्त किया जाता है तथा साथ ही अदालत मातहत तहसीलदार, झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि प्रकरण मे सभी प्रभावित पक्षकारों को नोटिस दिया जाकर, पक्षकारों को सुना जाकर, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर एवं दस्तावेजों, इकरारनामे एवं कब्जा काश्त की जांच कर विधिवत् पारित करें। प्रकरण मे अन्तिम निर्णय किये जाने से प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत अलग से सुनने की आवश्यकता नही है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ0 अरूण गर्ग )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

क्रमांक : पाठक/2025/5231 दिनांक 01-12-2025

प्रेषित :–

तहसीलदार,
झुंझुनू।

विषय :– श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 52, गणेश मन्दिर के पास, मोती सिहं की ढाणी तहसील व जिला झुंझुनू वगैरह बनाम तहसीलदार झुंझुनू।

**अपील संख्या : 338/2025**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अपील संख्या 338/2025 उनवान श्री राजेश शर्मा वगैरह बनाम तहसीलदार झुंझुनू में न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 01.12.2025 को पारित किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 01.12.2025 के अंतिम पृष्ठ के अंतिम पैरा की उपर से पंक्ति संख्या 15 में सहवन से आपके आदेश की दिनांक 03.11.2025 लिखा गया है, जो दिनांक 26.11.2025 होना है।

अतः उक्त के संबंध में निर्देश किया जाता कि न्यायालय हाजा के उक्त उनवानी अपील संख्या 338/2025 में अंतिम पैरा में दिनांक 03.11.2025 की जगह दिनांक 26.11.2025 पढ़ा जावें।

जिला कलक्टर,
झुंझुनू